

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-9

संख्या- /2017/ XXVII(9)/स्टाम्प-53/2009

देहरादून :: दिनांक: 31 जुलाई, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 के साथ पठित (समय-समय पर यथासंशोधित) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना संख्या 342/XXVII(9)/2013/स्टाम्प-53/2009, दिनांक 26 जुलाई, 2013 का अधिकरण करते हुए इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से वैयक्तिक या पृथक रूप से एक या उससे अधिक महिलाओं के पक्ष में 25 लाख रुपये मूल्य तक की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में अनुमन्य पच्चीस प्रतिशत तक की छूट किसी भी महिला क्रेता को उसके जीवनकाल में अधिकतम 02 बार अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल अग्रेतर यह भी निर्देश देते हैं कि यदि किसी लिखत के सम्बन्ध में किसी महिला के पक्ष में अन्तरण विलेख का मूल्य पच्चीस लाख रुपये से अधिक निर्धारित किया जाता है, तो उस पर स्टाम्प शुल्क की गणना में पच्चीस लाख रुपये मूल्य तक स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत की छूट दी जाएगी और पच्चीस लाख रुपये से अधिक मूल्य पर स्टाम्प शुल्क की गणना, पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार प्रभार्य होगी। एक महिला या उससे अधिक महिला और एक पुरुष या उससे अधिक पुरुषों के पक्ष में संयुक्त रूप में निष्पादित अन्तरण विलेख की दशा में महिला/महिलाओं के यथा उल्लिखित अंश की सीमा तक स्टाम्प शुल्क में उक्तानुसार कमी कर दी जाएगी, किन्तु यदि महिला/महिलाओं का ऐसा अंश लिखत में विनिर्दिष्ट नहीं है, तो लिखत पर स्टाम्प शुल्क इस प्रकार देय होगा, मानो ऐसी लिखत पर स्टाम्प शुल्क में कोई कमी स्वीकार्य न की गयी हो।

(राधा रतूड़ी)  
प्रमुख सचिव।

संख्या-217 (1)/2017/XXVII(9)/स्टाम्प-53/2009 तदुदिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिला निबन्धक, उत्तराखण्ड।
6. उप-निदेशक, राजकीय प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध सहित कि वे हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना को उसी दिनांक के असाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200-200 प्रतियां वित्त अनुभाग-9 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
7. विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(हीरा सिंह बसेड़ा)  
अनु सचिव।